अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :–राजप/डीपीसी/अचल.स.वि/2017/ 1820 दिनांक : 09.1.17

उप महानिरीक्षक, आर.ए.सी., राजस्थान।
समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
समस्त अधीक्षक संलग्न,चिकित्सालय संघ राजस्थान।
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें–जोन।
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,राजस्थान।
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,राजस्थान।
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
समस्त प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।

विषय :– समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।
संदर्भ :– कार्मिक विभाग के पत्रांक पं.13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 04.01.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगें, तथा जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही करेगें, उनकी विजीलैन्स क्लीयरेन्स नही दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नही किये जाने एंव अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

अतः इस संबंध में स्मरण पत्र जारी कर समय समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने तथा आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों/राजपत्रित अधिकारियों के वर्ष 2016 (01.01.2017) की स्थिति में 31 जनवरी 2017 तक संलग्न अचल सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रपत्र में अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय को अविलम्ब आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जा सकें। जिन चिकित्सकों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत नही किये जायेंगे, उनकी माह जुलाई 2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे। आपके अधीन कार्यरत समस्त चिकित्सकों के अचल सम्पति विवरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध राज्यादेशों की अवहेलना में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। **साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावें कि अचल सम्पत्ति विवरण संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही पूर्ण (जन्मतिथि आवश्यक) रूप से भरकर प्रेषित किया जावें। यदि उक्त निर्धारित प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रपत्र में या अपूर्ण सूचना दिये जाने पर प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न :– अचल सम्पत्ति विवरण निर्धारित प्रपत्र

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांक :–राजप/डीपीसी/अचल.सं.वि/2017/ 1820 दिनांक : 09.1.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (पक/ई.एस.आई./एड्स/मोबाईल सर्जिकल यूनिट), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त राजपत्रित अधिकारी निदेशालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वैबसाईट पर अप–लोड किये जाने एवं समस्त संबंधित को ई–मेल द्वारा भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है।

निदेशक(जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2016 (01 जनवरी 2017 को) के लिये प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति सहित सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1 अधिकारी का नाम तथा पद जिससे यह संबंधित है :-		3 किस सेवा संवर्ग से है :-			
2 वर्तमान में धारित पद :-		4 वर्तमान वेतन :-		5 जन्म तिथि :-	

उस जिले उप-खण्ड तहसील तथा गांव का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमी अन्य भवन	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं की नही है तो बताएं कि वह किसके नाम से धारित है तथा उस सदस्य के साथ आपका क्या संबंध है	कैसे अर्जित की । यदि क्रय पट्टे द्वारा या बंधक उत्तराधिकार दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई है तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिनसे अर्जित की गई है	सम्पत्ति से आय (वार्षिक)	अभ्युक्ति

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....